न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 1, बरेली।

उपस्थितः श्री विजेन्द्र त्रिपाठी.....एच0जे0एस0

CNRNo.UPBR01-007909-2026

फौजदारी निगरानी– 255 / 2024

सुखलाल पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम हडौलिया भोलापुर, थाना कैन्ट, जिला बरेली।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश।

.....उत्तरदाता ।

<u>निर्णय</u>

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता कई तिथियों से न्यायालय में अनुपस्थित चल रहा है। प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता सुखलाल द्वारा मु0अ0सं0 103 / 2024, सरकार बनाम बाबूराम अनतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भा0दं0सं0 थाना कैन्ट, बरेली में विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0 2 बरेली द्वारा पारित वाहन रिलीज आदेश दिनाँकित 13.06.2024 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ''प्रार्थी पंजीकृत वाहन स्वामी सुखपाल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया था कि प्रश्नगत वाद में निरूद्ध वाहन सं0 यू0पी0 25ईटी–5784 चेसिस नं0 MD2B47AX7NWL19833 व इंजन नं0 AZXWNL 59747 को अपनी सुपुर्दगी में लेने की प्रार्थना की गयी।

3. निगरानीकर्ता की ओर से विचारण न्यायालय के आदेश दिनांति 13.06. 2024 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है।

4. निगरानीकर्ता द्वारा आधार निगरानी में यह अभिकथित किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, बरेली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.06.2024 से क्षुब्ध होकर उक्त निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.06.2024 विधि विरूद्ध है व न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना व तथ्यों का अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। निगरानीकर्ता का वाहन सं0–उप–25–ईटी–5784 मु0अ0सं0–103 / 2024 धारा–279, 337,

338, 304ए आई०पी०सी० थाना कैण्ट, जिला बरेली हाजा थाना पर निरूद्ध है व उक्त वाहन का बीमा दुर्घटना के समय समाप्त हो गया था व निगरानीकर्ता द्वारा पुनः उक्त वाहन का बीमा करा लिया गया है व उक्त वाहन को रिलीज किये जाने हेतु निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय में रिलीज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसको अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है किन्तु अवर न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में पेरा सं0–1 में 2,00,000/– रूपये की सिक्योरिटी इस आशय की दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया है कि यदि पीडित पक्ष द्वारा कोई याचिका मोटर वाहन अधिनियम के अर्न्तगत प्रतिकर हेतु मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण प्रस्तुत की जायेगी और प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना हेतु उत्तरदायी पाया जाता है तो यह प्रतिकर की रकम के संदाय हेतु उक्त रकम को अदा करेगा, उक्त सिक्योरिटी एन०एस०सी० या सावधि जमा के रूप में होगी। रिलीज प्रार्थना पत्र के आदेश के पैरा नं0–2 में प्रार्थी द्वारा 2,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व सामान्य धनराशि का एक स्थानीय जमानती दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया है। कथित घटना के समय वाहन का बीमा समाप्त हो गया था चूँकि निगरानीकर्ता गरीब व अनपढ़ व्यक्ति है व उसके द्वारा वाहन का बीमा कराये जाने हेतु समयावधि के अर्न्तगत ही फाइनेन्सर को किस्त का रूपया अदा किया गया, किन्तु फाइनेन्सर द्वारा की गयी भूल के फलस्वरूप पुनः बीमा नहीं कराया गया व वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया इसमें निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर कोई गलती कारित नहीं की गयी थी। निगरानीकर्ता गरीब व्यक्ति है व निगरानीकर्ता का समस्त खर्चा निरूद्ध वाहन से ही चलता था। निगरानीकर्ता उक्त वाहन को रिलीज किये जाने के सम्बन्ध में आदेश के पैरा नं0–2 का पालन करने के लिए तैयार है किन्तु अवर न्यायालय द्वारा पारित रिलीज आदेश के पैरा सं0–1 का अनुपालन किये जाने में अक्षम है क्योंकि निगरानीकर्ता के पास 2,00,000/– रूपये नकद नहीं हैं जिससे वह सावधि जमा या एन०एस०सी० को तैयार करा सके। अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में पैरा सं0–1 सिक्योरिटी राशि 2,00,000/– रूपये दिये जाने हेतु गलत पारित किया गया है क्योंकि पीड़ित द्वारा प्रतिकर की रकम देने के लिए याचिका मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत की जायेगी व यदि वाहन का बीमा नहीं है तो मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम ट्रिब्यूनल में उक्त वाद के विचारण के दौरान उसका निर्णय किया जायेगा व जो भी प्रतिकर की रकम होगी वह उक्त ट्रिब्यूनल में निगरानीकर्ता/बीमा कम्पनी द्वारा पीड़ित को अदा की जायेगी। चूँकि विचारण न्यायालय केवल वाहन को रिलीज करने व उक्त मुकदमे में वाहन चालक का विचारण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है व वाहन को रिलीज किये

जाने के सम्बन्ध में प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा 2,00,000/– रूपये का जमानती व अण्डरटेकिंग अवश्य ही दिया जायेगा। अवर न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना निगरानीकर्ता के ऊपर अनावश्यक भार डालने के उद्देश्य से आदेश के पैरा सं0–1 में 2,00,000/– रूपये सिक्योरिटी एन०एस०सी० या सावधि जमा के रूप में गलत रूप से पारित किया गया है व उक्त आदेश को निरस्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था सुन्दर भाई अम्बा लाल बनाम गुजरात राज्य 2002 (10) एस०सी०सी० 283, 2003 (1) जे०आई०सी० के अनुपालन में उक्त वाहन को रिलीज किये जाने एवं निगरानी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. **विचारण** न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.06.2024 के परिशीलन से विदित होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश में उल्लिखित किया गया है कि– *''प्रार्थी/आवेदक सुखपाल मु०–200,000/–(दो लाख) रूपये की सिक्यूरिटी इस आशय की दाखिल करे कि यदि पीड़ित पक्ष द्वारा कोई याचिका मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर हेतु मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण प्रस्तुत की जायेगी और प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना हेतु उत्तरदायी पाया जाता है तो यह प्रतिकर की रकम के संदाय हेतु उक्त रकम को अदा करेंगे। उक्त सिक्यूरिटी एन०एस०सी० या सावधि जमा रूप में होगी और न्यायालय के आदेश के बिना प्रार्थी द्वारा उसका भुगतान प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।*

6. निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में कथन किया है कि उसके द्वारा वाहन का बीमा कराये जाने हेतु समयावधि के अर्न्तगत ही फाइनेन्सर को किस्त का रूपया अदा किया गया, किन्तु फाइनेन्सर द्वारा की गयी भूल के फलस्वरूप पुनः बीमा नहीं कराया गया व वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया इसमें निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर कोई गलती कारित नहीं की गयी थी।

7. इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपरोक्त प्रकरण में दुर्घटना के समय उपरोक्त वाहन का वैध बीमा नहीं था।

8. ऐसी दशा में विद्वान अवर न्यायालय ने अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए विधिनुसार आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अनियमितता व अवैधानिकता कारित नहीं की गयी है और ना ही अपने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तौर पर किया गया और ना ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को अनदेखा ही किया गया। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 103/2024, सरकार बनाम बाबूराम अनतर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भा0दं0सं0 थाना कैन्ट, बरेली में पारित आदेश दिनांकित 13.06.2024 पुष्ट किया जाता है।

आदेश की प्रति अविलम्ब विद्वान विचारण न्यायालय प्रेषित की जाये।

दिनाँक 09.06.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1
बरेली
यू0पी0 जे0ओ0 कोड 6160

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनाँक 09.06.2026

(विजेन्द्र त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–1
बरेली
यू0पी0 जे0ओ0 कोड 6160

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.07.06 11:47:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court